

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास(बोकारो)।

विविध अपील वाद संख्या- 04/2017-18

-:आदेश:-

सूची 14-फारम सं0 563

आदेश की
क्रम संख्या
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी
तारीख के साथ

22/1/19

प्रस्तुत वाद की कार्रवाई आवेदक भोला नाथ झा उर्फ रवि प्रसाद झा, पिता स्व0 हर्ष नारायण झा, सा0 विश्वनाथडीह, थाना पिण्ड्राजोरा, जिला बोकारो के द्वारा अंचल अधिकारी, चास के भू-मापी वाद संख्या 49/2016-17 में दिनांक 24.08.2017 को पारित आदेश के विरुद्ध अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से समर्पित आवेदन के आलोक में प्रारंभ किया गया है। तत्पश्चात् इस न्यायालय द्वारा आवेदन को स्वीकृत करते हुए उभय पक्षों को सूचना निर्गत कर सुनवाई प्रारंभ की गई।

विवादित भूमि

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
विश्वनाथडीह	109	9	165, 166, 168, 169	1.34ए0

अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन में उल्लेख किया गया है कि मौजा विश्वनाथडीह, खाता नं0 9, प्लॉट नं0 165, 166, 168, 169, रकवा 1.34ए0 भूमि सर्वे खतियान में चार हिस्सेदारों के नाम से दर्ज है। जिसमें अपीलार्थी का हिस्सा 0.33½ ए0 एवं केवाला सं0 1007 दिनांक 15.02.1990 के द्वारा रकवा 0.24ए0 भूमि प्राप्त है। इस प्रकार कुल रकवा 0.57½ए0 भूमि का मालिकाना हक प्राप्त है। उन्होंने उल्लेख किया है कि विपक्षीगण द्वारा प्लॉट नं0 165 में रकवा 0.03 ए0 एवं प्लॉट नं0 169 में 0.03ए0 कुल रकवा 0.06ए0 भूमि कब्जा कर लिया है। अंचल अमीन के द्वारा रकवा 0.51½ए0 भूमि की मापी की गई, उक्त के आलोक में अंचल अधिकारी द्वारा भी मात्र रकवा 0.51½ए0 भूमि की मापी पर ही अभिलेख की कार्रवाई को समाप्त कर दिया गया। अन्त में इनके द्वारा अंचल अधिकारी से पुनः कुल रकवा 0.57½ए0 भूमि की मापी करवाने का अनुरोध किया गया है।

द्वितीय पक्ष द्वारा अपना जवाब दाखिल किया गया है। इनके द्वारा

आदेश की
क्रम संख्या
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश
कार्रवाई
टिप्पणी
तारीख के

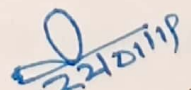
उल्लेख किया गया है कि प्रथम पक्ष द्वारा विवादित भूमि का कुल रकवा 1.34 ए० दर्शाया गया है। जिसमें मात्र रकवा 0.51½ ए० भूमि पर वाद लाना उचित नहीं है। भू-मापी अभिलेख संख्या 49/2016-17 में सात प्लॉटों का उल्लेख है। जबकि मापी सिर्फ चार प्लॉटों का ही किया गया है। मौजा विश्वनाथडीह, खाता नं० 9, प्लॉट नं० 163, 165, 166, 168, 169, 160, 161, कुल रकवा 2.50 ए० है। जो चीनीवास ओझा एवं अन्य के नाम से दर्ज है। जिसमें से प्रत्येक को 62.5 डी० भूमि हिस्से में प्राप्त होता है। कृति नाथ ओझा की पत्नी सुकुमनी देव्या 62.5 डी० भूमि केवाला सं० 6602 दिनांक 13.06.1942 को श्रीमती हाबु बाला देवी को बिक्री कर दिया गया था। इन्होंने यह भी उल्लेख किया की भू-मापी अभिलेख सं० 49/2016-17 में किया गया भू-मापी अधूरा है तथा पुनः मापी करवाने का अनुरोध किया।

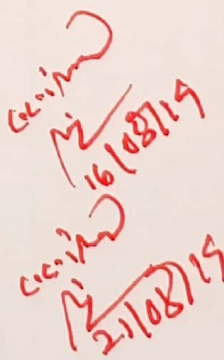
उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सूना एवं उनके द्वारा दाखिल कागजातों का अवलोकन किया। अंचल अमीन के जांच प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि आवेदक को केवाला से रकवा 0.24 ए० एवं खतियानी हिस्सा से रकवा 0.33½ ए० कुल रकवा 0.57½ ए० भूमि है। अंचल अमीन द्वारा रकवा 0.51½ ए० भूमि का मापी किया गया है। शेष भूमि का मापी नहीं किया।

अतः अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी, चास के द्वारा भू-मापी अभिलेख सं० 49/2016-17 में दिनांक 21.03.2017 को पारित आदेश को निरस्त किया जाता है। अपीलार्थी के मूल आवेदन के आलोक में उभय पक्ष की उपस्थिति में कुल रकवा 0.57½ ए० भूमि का सीमांकन कर आदेश पारित करने हेतु यह वाद अंचल अधिकारी, चास को रिमाण्ड किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
चास।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
चास।


21/08/19